न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

उनवान :– राजस्व वाद प्रकारण संख्या 28/2019

1. जगदीप सिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख उम्र 15 वर्ष,
2. हरपिन्द्र सिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख उम्र 13 वर्ष नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता श्रीमती परमजीत कौर पत्नी सुखदेवसिंह जाति जटसिख उम्र 40 वर्ष निवासी अक्कावाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर

– – वादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राज.) श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. सुखदेवसिंह पुत्र श्री गेजसिंह जाति जटसिख निवासी खस्तावाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
2. दीदार सिंह पुत्र हुकमसिंह } जाति जटसिख निवासी ठाकरावाली
3. शिवराज सिंह पुत्र हुकमसिंह } तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
4. स्टेट आंफ राजस्थान जरिये तहसीलदार,श्रीगंगानगर।

–– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा आदेश 53, 88, 188 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मनोहर लाल सहारण – – वादी
2. श्री तरूण गर्ग – – प्रतिवादी 1
3. पैरोकार राज – – प्रतिवादी 4

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध दिनांक 10.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक :–01.10.2019

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 13 एल एन पी सैकण्ड की खतौनी संख्या 115/113 के मु.न. 32 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18.23 ता 25 में 3.6050 हैक्टर नहरी, मु.न. 49 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 3.7950 हैक्टर नहरी, मु.न. 50 के किला नम्बर 1,10,11,19 ता 22 में 1.7330 हैक्टर नहरी कुल 9.1330 हैक्टर नहरी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

के नाम 4.566 हैक्टर रकबा दर्ज है। नकल सम्वत् 2067 से 2070 शामिल वाद पत्र है। उपरोक्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है वह उसे अपने पिता से विरास्तन डिग्री द्वारा प्राप्त हुआ है नकल इंतकाल दिनांक 08.12.1976 साथ संलग्न वाद पत्र है। उपरोक्त समस्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है व संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है जिसे वे पाने के अधिकारी है। खाता सांझा रहने से व राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने से लगान व आबियाना देने में पानी की भराई खिंचाई में कई प्रकार की व्यवाहरिक दिक्कते आती है व बैंक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान का पूरा फायदा नहीं मिल पाता।. इस कारण घरू बंटवारा अनुसार प्राप्त रकबा को अपने–अपने नाम करवाना आवश्यक व जरूरी है। प्रतिवादी संख्या 1 जो फिजूल खर्ची व शोकीन मिजाज व्यक्ति है व बिना हिन्दू परिवार की घरेलु आवश्यकता के रकबा को रहन–बैय करने की फिराक में है पूर्व में भी उसके द्वारा उक्त रकबा को बिना संयुक्त परिवार की आवश्यकता के भूमि विक्रय का इकरारनामा कर लिया था जिसे नजदीकी रिश्तेदारों व मौतबिर व्यक्तियों के द्वारा निरस्त करवाकर हक व हिस्सानुसार रकबा का घरेलु बंटवारा कर दिया था। इस घरेलु बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा तैय कर दिया था। इसी अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने 1/3–1/3 हिस्सा पर काबिज है व बिना किसी विघन के अपने रकबा का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरू बंटवारा अनुसार जो रकबा हमारे हिस्सा में आया है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति के ब्यान कर दो ताकि राजस्व रिकार्ड में हमारा नाम अंकन हो जावे। पहले तो आज–कल आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि मैं तो घरेलु बंटवारा को नहीं मानता और ना ही तुम्हारे हक में सहमति के ब्यान करता है तुम्हे जो करना है सो करो बस यही वादीगण को वाद हेतु प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 को इस बात का ईल्म होने पर की रकबा आज भी उसके नाम है उसके मन में बदयानती आ गई है और वह रकबा को ओने–पोने दामों में विक्रय करने की फिराक में है । यदि वह अपने इस मक्सद में कामयाब हो गया तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी वादीगण अपने हक व हिस्सा से महरूम हो जावेगे व आईदा मुक्दमाबाजी बढेगी । इस कारण ता फैसला दावा प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबंद किया जाना आवश्यक व जरूरी है। वादीगण जो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नाबालिगान है को घरू बंटवारा अनुसार प्राप्त रकबा को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए दावा दायरी के अलावा अन्य कोई विधिक उपचार उपलब्ध नहीं है । चूंकि वादीगण नाबालिगान है इसलिए उनके हित को सुरक्षित रखने के लिए कुदरतीवली माता दावा पेश करने की अधिकारणी है।

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से वाद डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया –

1. घोषित किया जावे कि वादीगण घरू बंटवारा अनुसार जददी जायदाद में वादीगण पैरा संख्या 8 में दर्ज रकबा के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है ।
2. इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना अलग–अलग कायम किया जावे।
3. प्रतिवादीगण को शाश्वत व्यादेश से पाबंद किया जावे ।
4. खर्चा मुक्दमा दिलाया जावे।
5. अन्य अनुतोष जो वादीगण के पक्ष में हो प्रदान किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 02.04.2019 को स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया जिसके कथनानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे पुत्र–पिता है पंचायत व गांव के नजदीकी मौतबिरान व्यक्तियों के द्वारा दोनों पक्षों का हमारा आपस में राजीनामा करवा दिया है। इस राजीनामा के नाम अनुसार निम्न रकबा पक्षकारान को आया है। यह कि इस घरेलु बंटवारा अनुसार प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष संख्या 1 का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा तैय कर दिया था इसी अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने 1/3–1/3 हिस्सा पर काबिज है व बिना किसी विघन के अपने रकबा का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इसी प्रकार प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि इसी अनुसार रा तस्दीक किया जाकर इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जावे

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के सम्मन पर तामील विधिवत होने एवं न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

दिनांक 10.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के कथनों का अवलोकन किया गया।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

—:: आदेश ::—

वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 13 एल एन पी सैकण्ड तहसील श्रीगंगानगर की खतौनी संख्या 115/113 के मु.न. 32 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 3.6050 हैक्टर नहरी, मु.न. 49 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 3.7950 हैक्टर नहरी, मु.न. 50 के किला नम्बर 1, 10, 11, 19 ता 22 में 1.7330 हैक्टर नहरी कुल 9.1330 हैक्टर नहरी में से प्रतिवादी 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज 4.566 हैक्टर रकबा को छोड कर शेष बची 4.567 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का वादी संख्या 1 व 2 एवम् प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/3 – 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 01.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर